


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर- 60/2025

निर्णय दिनांक- 31.10.2025

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र बोदू जाति मुसलमान ढाडी निवासी ग्राम खडूँज, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. रसाल पत्नि बोदू जाति मुसलमान ढाडी निवासी ग्राम खडूँज, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।



बनाम

1. कानाराम पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम खडूँज, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. कालूराम पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम खडूँज तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
4. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री शेरसिंह नरुका अधिवक्ता वादी

श्री जीतराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खडूँज के सम्बन्ध में दिनांक 28.07.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/25/4096 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। वहस सुनी गई। वहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा - कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

लगातार.....2


उपखण्ड अधिकारी
फागी

अतः तहसीलद्वारा फार्मी द्वारा (2) का कोई आधार नहीं है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा कुरेजात को गलत मानने किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान मुताबिक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्या जारी हो। होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	कानाराम पुत्र दुर्गालाल हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 पूर्णखाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी	314/8	0.5058	बाराणी 3	
2	कालूराम पुत्र दुर्गालाल 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार				
	योग	किता 1	0.5058		
1	बाबूलाल पुत्र बोदू हि0 1/2 जाति मुसलमान ढाडी सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्णखाता) भूमि विकास बैंक शाखा फागी	314/5	0.5058	बाराणी 3	
2	रसाल पत्नि बोदू 1/2 जाति मुसलमान ढाडी सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्णखाता)				
	योग	किता 1	0.8725		

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इत्यादाई
 (ओ.२० रूल ६-७ जायदादीवाणी)
 अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
 बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

- उनवान
- बाबूलाल पुत्र बोदू जाति मुसलमान ढाडी निवासी ग्राम खडूज, तहसील फागी जिला जयपुर राज
 - रसाल पत्नि बोदू जाति मुसलमान ढाडी निवासी ग्राम खडूज, तहसील फागी जिला जयपुर राज
- वादीगण

- वनाम
- कानाराम पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम खडूज, तहसील फागी जिला जयपुर राज.
 - कालूराम पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम खडूज तहसील फागी जिला जयपुर राज.
 - शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.
 - शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.
 - तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-
 मु०न०:- ६०/२०२५

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री शेरसिंह नरूका हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री जीतराम चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा - कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे।

निज..... मुबलिंग..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी.....
 सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।
 वसवत मेरे दस्तखत के मुहर अदालत के आज तारीख ३१.१०.२०२५ को जारी की गई।

दस्तावेज अदालत


फागी

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर ववत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर ववत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
 फागी


कृ०प०उ०



वापूलाल वगै० बनाम कानाराम वगै०
मु०न०:- 60/2025
निर्णय दिनांक:- 31.10.2025

क्र. सं.	नाम खातेदार नय वल्लियल	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	कानाराम पुत्र दुर्गालाल हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 पूर्णखाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी	314/8	0.5058	बारानी 3	
2	कालूराम पुत्र दुर्गालाल 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार				
	योग	किता 1	0.5058		
1	बाबूलाल पुत्र बोदू हि० 1/2 जाति मुसलमान ढाडी सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्णखाता) भूमि विकास बैंक शाखा फागी	314/5	0.5058	बारानी 3	
2	रसाल पत्नि बोदू 1/2 जाति मुसलमान ढाडी सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्णखाता)				
	योग	किता 1	0.8725		

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राकेश कुमार II)
उपसमूह अधिकारी
फागी जिला प्रयापुर

सत्यमेव जयते